



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 770]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2009/वैशाख 25, 1931

No. 770]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 15 मई, 2009

New Delhi, the 15 May, 2009

का.आ. 1240(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 मई, 2009 से प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण की स्थापना करती है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित होगा।

S.O. 1240 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 53A of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government establishes, with effect from 15th May, 2009, the Competition Appellate Tribunal having its headquarters at Delhi.

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस]

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

अविनाश के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.